उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होम्योपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ–226018

मो0नं0 : 7607355882

ई–मेल–registrar@hmbup.in

पत्रांक–......185........एच0एम0बी0 / 2026 दिनांक 15.04.2026

सेवा में,

द्वारा बोर्ड वेबसाइट

प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त डी0एच0पी0 कालेज,
(शैक्षणिक सत्र 2024-26 द्वितीय वर्ष एवं 2025-27 प्रथम वर्ष)

विषयः भेषजिक डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र-2026-28 के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा संचालित भेषजिक डिप्लोमा इन होम्योपैथिक पाठ्यक्रम (डी0एच0पी0) का संचालन शासनादेश संख्या-1372/71-आयुष-2-2015-92/96 टी0सी0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-28 हेतु किया जाना है। उक्त सत्र में भी पूर्व की भाँति क्रियाशील व डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं द्वारा शासनादेश मे निहित निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भेषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा) विनियमावली, 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत छात्रों के प्रवेश हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. निजी संस्थानों को दो वर्षीय होम्योपैथिक भेषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा संचालन करने के लिए प्रत्यायित किया गया है। समस्त होम्योपैथिक भेषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा अध्यापन संस्थायें उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करेंगी:-

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को सम्पूर्ण विवरण सहित न्यूनतम 05 वर्षो की अवधि तक वेबसाइट अद्यतन रखना और इसकी सूचना बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(ख) एक संस्था या मान्यता प्राप्त एक से अधिक संस्थायें प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी ओर इसकी सूचना बोर्ड का उपलब्ध करायेंगी।

(ग) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट से अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होते ही आवेदक को एक यूनीक संख्या आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस यूनीक संख्या को काउन्सिलिंग के बाद प्रवेश के समय एवं बोर्ड में नामांकन के समय अंकित किया जायेगा

(घ) ऐसे आवेदक, जिन्होने विज्ञान या गणित विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा ऐसे विषयों के साथ उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और 17 वर्ष की आयू प्राप्त की हो को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

(ड.) समस्त संस्थायें तत्समय प्रवृत्त आरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं सरकारी आदेशों का अनुपालन करेंगी।

(च) संस्थायें प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, श्रेष्ठतापरक प्रवेश एवं निष्पक्षतापूर्वक सुनिश्वित करेंगे।

(छ) प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र का 50 प्रतिशत प्रश्न विज्ञान विषय में (इण्टरमीडिएट स्तर पर) 25 प्रतिशत प्रश्न अंग्रेजी हिन्दी भाषा ज्ञान से सम्बन्धित तथा 25 प्रतिशत प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं मौखिक दक्षता प्रशिक्षण से सम्बन्धित होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी च परीक्षा सम्पूर्ण होने के 03 दिन के अन्दर प्रश्नपत्र में वर्णित प्रश्नों के उत्तर को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

(ज) आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन में होम्योपैथिक भेषजिक डिप्लोमा का परिचय, पाठ्क्रम की अवधि, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण नियमों एवं आवेदन का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम आदि प्रकाशित किया जायेगा।

(झ) विज्ञापन, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसका सार्वजनिक व्यापक प्रसार हो।

2. प्रवेश परीक्षा की चरणबद्ध समय सीमा निम्नवत् होगीः-

क्र0	चरणबद्ध प्रक्रिया	प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा	वेबसाइट को अद्यतन करने की तिथि
1	आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना	10 अप्रैल, 2026	
2	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	31 मई, 2026	सभी आवेदित अभ्यर्थियो का विवरण दिनांक 03 जून तक प्रवेश परीक्षा आयोजक संस्था द्वारा अपलोड कर दी जायेगी तथा यूनीक संख्या वितरित की जायेगी।
3	प्रवेश पत्र जारी करना, केन्द्र का निर्धारण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बोर्ड से अनुरोध की कार्यवाही	10 जुलाई, 2026	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान कराई जायेगी।
4	प्रवेश परीक्षा आयोजित करना	26 जुलाई, 2026 तक	प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का विवरण अगले दिन 05 बजे तक साइट से अपलोड किया जायेगा।
5	प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करना	05 अगस्त, 2026 तक	परिणाम उसी दिन अगम्य रूप से वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।
6	काउन्सिलिंग के पश्चात् अन्तिम चयन की कार्यवाही (आवश्यकतानुसार चरणों में)।	06 अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक	काउन्सिलिंग का परिणाम तुरन्त वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।

अतः समस्त प्राचार्य/प्रबन्धकों से अनुरोध है कि डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-28 के संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। नियन्त्रक महोदय के निर्देश के क्रम में यदि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा छात्रों को प्रवेश हेतु उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया नियमानुसार सम्पन्न नहीं की जाती है और समयबद्ध रूप से उसकी सूचना बोर्ड को नहीं प्रेषित की जाती है तो इस दशा में समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1135/26-3-2026-2041429 दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के क्रम में न तो सम्बन्धित संस्था का मास्टर डाटा लॉक किया जायेगा और न ही संस्था का स्कॉलरशिप डाटा अग्रसारित किया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाओं के प्राचार्य/प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

15/04/2026

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार

पत्रांक संख्या एवं दिनांक तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नियन्त्रक, उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड।
2. प्रबन्धक, यू.पी.डेस्को (ओमिनी नेट) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डी0एय0पी0 पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-28 के संचालन के सम्बन्ध में पोर्टल पर व्यवस्था उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार

U.P. Homeopathic Medicine (Entrance Examination for Admission to the Diploma in Homeopathic Pharmacy Course) Regulations, 2015

UTTAR PRADESH
India

U.P. Homeopathic Medicine (Entrance Examination for Admission to the Diploma in Homeopathic Pharmacy Course) Regulations, 2015

Rule U-P-HOMEOPATHIC-MEDICINE-ENTRANCE-EXAMINATION-FOR-ADMISSION-TO-THE-DIPLOMA-IN-HOMEOPATHIC-PHARMACY-COURSE-REGULATIONS-2015 of 2015

Published on 21 December 2015
Commenced on 21 December 2015

[This is the version of this document from 21 December 2015.]

[Note: The original publication document is not available and this content could not be verified.]

U.P. Homeopathic Medicine (Entrance Examination for Admission to the Diploma in Homeopathic Pharmacy Course) Regulations, 2015

Published vide Notification No. 1372/71-Ayush-2-2015-92-96 T.C., dated December 21, 2015, published in the U.P. Gazette, Extraordinary, Part 4, Section (Ka), dated 21st December, 2015, pp. 3-4

No. 1372/71-Ayush-2-2015-92-96 T.C., dated December 21, 2015, published in the U.P. Gazette, Extraordinary, Part 4, Section (Ka), dated 21st December, 2015, pp. 3-4. - In exercise of the powers under sub-section (2) of Section 57 of the Uttar Pradesh Homeopathic Medicine Act, 1951 (Act No. VIII of 1952), the Governor is pleased to confirm and publish the following regulations made by the Board of Homeopathic Medicine, Uttar Pradesh in exercise of the powers under Section 55 of the said Act -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Homeopathic Medicine (Entrance Examination for Admission to the Diploma in Homeopathic Pharmacy Course) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Procedure for entrance examination.

(1). The private institutions have been accredited to operate the Diploma Homeopathic Pharmacy syllabus of two years duration. All the institutions teaching Diploma in Homeopathic Pharmacy Course shall follow the following directives for holding the entrance examination for admission to the said course -

(a). every recognised institution shall keep their website updated with all the details intact for a minimum of 5 years and inform about it to the Board;

(b). one institution or more of the recognised institutions will conduct the examination and inform about it to the Board;

(c). during the entrance procedure, the details regarding every step shall be uploaded on the website. On receipt of the application every applicant will be provided with a unique number by the organising institution. This unique number will be mentioned after counselling, during the entrance and enrolling to the Board;

(d). the applicants who have passed the intermediate examination with science or mathematics or who are appearing in the said examination with such subjects and have attained the age of 17 year will be allowed to be admitted in the entrance test;

(e). all the institutions shall follow the Act, rules and Government orders for the time being in force with respect to reservation;

(f). the institutions will ensure transparency, merit based entrance and unbaised procedure of the entrance test;

(g). the question paper for the entrance examination shall contain 50% questions from the Science subject (of Intermediate level), 25% questions related to the knowledge of the English-Hindi languages and 25% based on the General Knowledge and Mental Ability test. All the questions will be multiple choice types. The confidentiality of the question papers will be ensured and it is compulsory to exhibit the answers of the questions in the question paper on the website within three days from the completion of the test;

(h). in the published advertisement for inviting of the applications, the introduction of Diploma in Homeopathic Pharmacy, the duration of the course, educational eligibility, reservation rules and the application format, the syllabus for the entrance test will be published;

(i). the advertisement will be published in Hindi, Urdu, English daily Newspapers, which have an extensive circulation among the public.

3. Timelines of entrance test.

- The step wise timelines of the entrance test are as follows -

erial	Stepwise procedure	The timeline to complete the process	Date to update the website
1.	Publishing the advertisement to invite the application	Tenth April	
2.	The last date to receive application	Thirty-first May	All the details of the applying candidates will be uploaded on the website of the institution organising the entrance test by June 3 and the unique number will be distributed.
3.	Issuing the admit cards determination of the centres,proceedings to requestBoard for the appointmentof the Invigilators	Tenth July	The facility to download the admit card will be made available
4.	Organising the entranceexamination	Till 25th July	The details of the examineeappearing in the examination will beuploaded by the site till 5' O clock the very next day.
5.	Declaration of the results ofthe entrance test	Till 5th August	The results will be uploadedexclusively on the website on theevery same day.
6.	Final selection proceedingsafter counselling (In steps asper the need)	From August 5thto 31st August	The results of the counselling willbe uploaded on the website atonce.

A mandatory follow up on updating the above mentioned timelines and details on the website is of utmost importance. Any kind of revision of the above mentioned calendar

can be done by the administration on the basis of the opinion of the Board, in some special circumstances while mentioning those emergent circumstances.

It is mandatory to follow the above mentioned directives. In the event of any kind of laxity in following the directives, the concerned institution will be liable for action as per the rules.

96 टीसी

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–2
संख्या– 1842/(1)/71–आयुष–2–2015–92/96टीसी
लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015

782/HNB
30-12-15

उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भेपजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा) विनियमावली, 2015 विषयक, अधिसूचना संख्या–1372/71–आयुष–2–2015–92/96टीसी, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र।
6. निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 होम्योपैथी।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना को उ0प्र0 के सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्टि के भाग–4 खण्ड–क में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

30-12-15

संलग्नक:–यथोक्त

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–2
संख्या–1372/71–आयुष–2–2015–92/96 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8,सन 1952) की धारा–57 की उपधारा(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा बनायी गयी निम्नलिखित विनियमावली का, उक्त अधिनियम की धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, पुष्टि और प्रकाशन करते है:–

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा) विनियमावली,2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा) विनियमावली, 2015 कही जायेगी

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रवेश परीक्षा के लिये प्रकिया

2. (1) निजी संस्थानों को दो वर्षीय होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा संचालन करने के लिये प्रत्यायित किया गया है। समस्त होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा अध्यापन संस्थायें, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा कराने हेतु निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन करेंगी:–

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को सम्पूर्ण विवरण सहित, न्यूनतम 05 वर्षो की अवधि तक वेबसाइट अद्यतन रखना और इसकी सूचना बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य है;

(ख) एक संस्था या मान्यता प्राप्त एक से अधिक संस्थाये प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी और इसकी सूचना बोर्ड को उपलब्ध करायेंगी;

(ग) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक चरण से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट मे अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होते ही आवेदक को एक यूनीक संख्या आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस यूनीक संख्या को काउन्सिलिंग के बाद प्रवेश के समय एवं बोर्ड में नामांकन के समय अंकित किया जायेगा;

(घ) ऐसे आवेदक, जिन्होंने विज्ञान या गणित विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा ऐसे विषयों के साथ उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और 17 वर्ष की आयु प्राप्त की हो को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी;

(ङ) समस्त संस्थाये, तत्समय प्रवृत्त आरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं

संस्थागत आदेशों का अनुपालन करेगी,

(ग) संस्थायें, प्रवेश परीक्षा समिति की मार्गदर्शिका, आवश्यकतानुसार प्रश्न एवं विवरणिका मुद्रित करायेगी,

(घ) प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत प्रश्न विज्ञान विषय से (...तथा 25 प्रतिशत ...), 25 प्रतिशत प्रश्न अंग्रेजी-हिन्दी भाषा ज्ञान से सम्बन्धित होंगे। सभी प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता परीक्षण से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी व परीक्षा सम्पन्न होने के उस दिन के अन्दर प्रश्नपत्र व संभावित प्रश्नों के उत्तर को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है,

(ङ) आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन में पाठ्यक्रमवार, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण नियम, शैक्षणिक डिप्लोमा का परिचय, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम आदि प्रकाशित किया जाएगा, एवं आवेदन का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

(च) विज्ञापन, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिसका सार्वजनिक व्यापक प्रचार हो।

प्रवेश परीक्षा की समय सीमा 3. प्रवेश परीक्षा की चरणबद्ध समय सीमा निम्नवत होगी :-

क्र0	चरणबद्ध प्रक्रिया	प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा	वेबसाइट को अद्यतन करने की तिथि
1.	आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना।	10 अप्रैल	
2	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	31 मई	सभी आवेदित अभ्यर्थियों का विवरण दिनांक 05 जून तक प्रवेश परीक्षा आयोजक संस्था द्वारा अपलोड कर दी जायेगी तथा यूनीक संख्या निर्धारित की जायेगी।
3	प्रवेश पत्र जारी करना, केन्द्र का निर्धारण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बोर्ड से अनुरोध की कार्यवाही।	10 जुलाई	प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करायी जायेगी।
4	प्रवेश परीक्षा आयोजित करना।	25 जुलाई तक	प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का विवरण अगले दिन 05 बजे तक साइट पे अपलोड किया जायेगा।
5	प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करना।	05 अगस्त तक	परिणाम, उसी दिन अनिवार्य रूप से वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।
6	काउन्सिलिंग के पश्चात अन्तिम चयन की कार्यवाही (आवश्यकतानुसार चरणों में)।	06 अगस्त से 31 अगस्त	काउन्सिलिंग का परिणाम तुरन्त वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।